हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 54

मंगलवार, 27 अगस्त, 2019/5 भाद्रपद,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल की घोषणा करने से पूर्व ही श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखने के लिए माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया। माननीय अध्यक्ष ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान की।

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने नियम-67 के अंतर्गत चर्चा हेतु जो नोटिस दिया है वह प्रदेश हित से जुड़ा मामला है जिस पर चर्चा की जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"मुझे नियम-67 के अंतर्गत श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री राम लाल ठाकुर जी और श्री जगत सिंह नेगी जी की ओर से सूचना प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि प्राइवेट मैम्बर्ज़ डे यानी परसों

यह विषय सदन में चर्चा के लिए लगाया गया है जिसके अंतर्गत पर्यटन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे पास उस दिन चर्चा के लिए पूरा समय रहेगा। हम उस समय इस विषय में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस विषय पर नियम-67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं दी है अन्यथा मैं इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान कर देता।"

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के पश्चात् भी नियम-67 के अंतर्गत ही चर्चा करने हेतु अपनी बात रखी।

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि जब माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है तो नेता प्रतिपक्ष को चर्चा हेतु ज़ोर नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल का समय महत्वपूर्ण है; इसमें हिमाचल प्रदेश के करदाताओं का पैसा लगा है और इसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। तत्पश्चात् सत्तापक्ष और कांग्रेस विधयक दल के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के बीच में ही माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल आरम्भ कर दिया।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1352 (स्थगित) पर कोई अनुपूरक पश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1361 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्याः 1442, 1444 व 1447 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्न काल के बीच में ही **मुख्य मंत्री** कहा कि नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो मामला विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने पिछले कल ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पर्यटन निगम के होटलों या संपत्तियों को बेचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह विज्ञापन किसी त्रुटि के कारण पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर आया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने चोरी से हिमाचल को बेचने की योजना बनाई है। विज्ञापन सरकारी वेबसाइट पर है। सरकार स्पष्ट करे की 'राइजिंग हिमाचल' किसकी वेबसाइट है। वेबसाइट पर 16 होटलों की फोटो भी लगाई गई है; उनकी कीमत भी तय कर दी गई है। बिना किसी गलोबल टेंडर और ऑक्शन के यह कीमत किसने तय की। उन्होंने कहा कि यह चूक नहीं है बल्कि साजिश है।

मुख्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की बात का उत्तर देते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक दल को सरकार के ख़िलाफ़ कहने के लिए पहले कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन अचानक यह मुद्दा मिल गया। उन्होंने कहा कि कई बार मानवीय त्रुटि होती है और यह बात मान कर चलना पड़ेगा कि पर्यटन के बहुत से यूनिट घाटे में चल रहे हैं। यह आकलन कांग्रेस सरकार के समय में भी होता रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का विज्ञापन पर्यटन विभाग की साइट पर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि पर्यटन निगम की संपत्तियों को बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में जांच बिठाकर तीन दिन के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात की।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

मुख्य मंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने पर्यटन निगम से जुड़ी कई संपत्तियों को बेचा है। इनमें एंगलर बंगलो कटराईं, कुल्लू तथा वाइल्ड फ्लावर हॉल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में तत्कालीन सरकार द्वारा वाइल्ड फ्लावर हॉल को ज्वाइंट वेंचर में देने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार को वहां से अभी तक एक पैसे की भी आय नहीं हुई।

मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल के बहिर्गमन की निंदा की।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1443, 1445, 1446, 1448 तथा 1449 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1450 से 1475 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 414 से 425 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18; और

(ii) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019.

(2) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18; और

(iii) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ मुख्य प्रारूपकार, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(बी)2-7/2015 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2019 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रसार अधिकारी (उद्योग), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(बी)2-4/2013 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.07.2019 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रेशम निरीक्षक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(बी)2-2/2013 दिनांक 19.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.11.2017 को प्रकाशित; और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, मलबरी अधीक्षक/अनुसंधान सहायक/तकनीकी पर्यवेक्षक/वरिष्ठ रेशम निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(बी)2-8/201 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.07.2019 को प्रकाशित।

(4) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 44वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18.

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का अष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि कार्मिक विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(iii) समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15)में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12)में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि पशुपालन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(I) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि **हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8**) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि **हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9**) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

6. नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा

श्री नरेन्द्र ठाकुर, सदस्य द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई -

"प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हिम केयर' व 'सहारा' योजनाओं पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री राकेश पठानिया

(12.22 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

3. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
4. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
5. श्री परमजीत सिंह
6. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
7. श्री विनोद कुमार

(01.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.05 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.10 बजे अपराह्न श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।)

नियम-130 के अंतर्गत चर्चा जारीः-

8. श्री राजेन्द्र गर्ग
9. श्रीमती कमलेश कुमारी

स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(03.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

7. नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री विक्रमादित्य सिंह, सदस्य** ने नियम-62 के अंतर्गत निम्नलिखित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"to call the attention of the Chief Minister to the situation arising out of 'Dilution of Section-118 of Himachal Pradesh Land Tenancy and Reform Act, 1972 in view of abolition of Article 35A of Indian Constitution."

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

<u>अध्यक्ष द्वारा घोषणा</u>

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की-

"मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि 29 अगस्त, 2019 को पूरे देश में Fit India Movement यानी पूरा भारत स्वास्थ्य रहे, इसकी शुरुआत होने जा रही है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि 29 तारीख को सदन आरम्भ होने से पहले 10.50 बजे पूर्वाह्न पुस्तकालय भवन में हम सब चुने हुए प्रतिनिधि एकत्रित होंगे। यदि हम चुने हुए प्रतिनिधि Fit India Movement की चिंता करेंगे तो पूरा प्रदेश इस पर अमल करेगा। इसकी लिखित सूचना भी आपको दी जाएगी।"

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि उनके पास 31 मामले नियम-130 के अंतर्गत, 14 मामले नियम-62 के अंतर्गत और 9 मामले नियम-61 के अंतर्गत चर्चा हेतु आए हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा-से-ज्यादा मामलों पर सदन में चर्चा हो और उनका उत्तर भी आ जाए लेकिन इसके लिए सदस्यों को अपनी चर्चा विषय तक ही सीमित रखते हुए उन्हें समय के मामले में सहयोग देना पड़ेगा।

8. नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

सर्वश्री राम लाल ठाकुर, सदस्य ने नियम-130 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

(04.12 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री रामेश चंद ध्वाला

(04.30 बजे अपराह्न कर्नल इन्द्र सिह, सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
3. श्री रविन्द्र कुमार

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 05.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

4. श्री सतपाल सिंह रायजादा
5. श्री राकेश पठानिया
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

(05.10 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

(सदन की बैठक 06.00 बजे सायंकाल तक पुनः बढ़ाई गई।)

7. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
8. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
9. श्रीमती रीता देवी

05.52 बजे सायंकाल सदन की बैठक बुधवार, 28 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।